



95/1

दूरभाष- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-228001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 3917 / 05/76/एक/2017-18

दिनांक : 09 जनवरी 2018

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-शामली।

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-18 में सूझा द्वारा आपके जनपद (झुडा) को मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना में स्वीकृत धनराशि से शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक/मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधा योजना के कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु निम्नपरियोजनाओं की द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में आपके जनपद को उक्त योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार द्वितीय किस्त की धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	50084784336	IFSC Code ALLA0211937	181.187

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या 37/83	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	धनराशि का प्रेषण (द्वितीय किस्त)
1	शामली	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० शामली	मौ० पंसारीयान में सत्यवीर के मकान से नाले तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	3.697
2	शामली	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० शामली	मौ० पंसारीयान में अरविन्द कुमार के मकान से श्रीमती पारो के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	3.772
3	शामली	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० शामली	मौ० पंसारीयान में श्री कैलाशचन्द के मकान से श्री सतीश कुमार के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	10.903
4	शामली	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० शामली	मौ० स्लेक विहार में खालिद के मकान से दिल्ली रोड तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	18.172
5	शामली	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० शामली	मौ० रेलपार में श्री बिट्टू के मकान से जितेन्द्र सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	5.449
6	शामली	मलिन बस्ती-83 बजट	न०प० थानामवन	मौ० काननूगोयान में अनिल गोयल के मकान से दिल्ली सहारनपुर रोड तक, चौक बाजार से देवी भवन मन्दिर व कालूराम की चक्की तक तथा बाला जी धाम के पास रबर मोल्ड इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	28.555
7	शामली	मलिन बस्ती-83 बजट	न०प० थानामवन	मौ० आर्यपुरी में सतीष मेम्बर के घर से वाल्मीकि शमशान घाट तक एवं सिम्भालिका रोड से संजीव के घर तक रबर मोल्ड इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	24.471
8	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० कैराना	वार्ड न० 21 मौ० खेलकला में रामड़ा रोड से दारुलउलूम मदरसे तक, उमरदीन के मकान से लीला हलवाई तक, तौहीद के मकान से इस्लाम के मकान तक, रईस के मकान से मैराज के खेत तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8.216
9	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० झिंझाना	मौ० शेखो मैदान सलारा में फुरकान के मकान से मोहसीन के प्लाट तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2.380



95/2

दूरभाष- 2286709

2286710

नव चेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या 37/83	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	धनराशि का प्रेषण (द्वितीय किरत)
10	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० शिक्षाना	मौ० गाड़डीवाला में तहसील के प्लाट से जमशेद के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	5.943
11	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० शिक्षाना	मौ० गाड़डीवाला में करनाल रोड से संजय शर्मा के मकान से शमशेर के प्लाट तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	6.802
12	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० शिक्षाना	मौ० तलाई में बिड़ोली बाईपास से हाजी रहीस के प्लाट तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	7.536
13	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० शिक्षाना	मौ० शेखा मैदान सलारा में नोमान के प्लाट से समीर के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	1.010
14	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० शिक्षाना	मौ० गाड़डीवाला में वी०के० स्कूल के मैदान से मस्जिद प्लाट तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	6.673
15	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० शिक्षाना	मौ० गाड़डीवाला में रसीद के मकान से असलम के प्लाट तक, अहसान के मकान के सामने से मनवर के मकान तक, रसीद के मकान से आलमगीर के प्लाट तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	12.051
16	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० शिक्षाना	मौ० चन्दनपुरी में मौ० तलाही पीर से हरिराम के मकान से होते हुए भीम डाक्टर के मकान तक, दुर्गा के मकान से जोगीन्दर के मकान तक, मौ० तलाही पीर से प्रेम के मकान तक, मिर्जन के मकान से इसरार के प्लाट तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	16.944
17	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० शिक्षाना	मौ० इब्राहिम कालोनी में बिड़ोली रोड से मस्जिद के प्लाट तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	5.103
18	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० कैराना	मौ० अफगानान में हाजी इनाम के कारखाने से मस्जिद के प्लाट तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	4.515
19	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० कैराना	मौ० अफगानान नवाब तालाब में डॉ० अवेज के प्लाट से यासीन हसीन के मकान तक, अमीर अहमद के मकान से रहीस घोबी के मकान तक, सीने के मकान से अफसर के मकान तक, असगर के मकान से इसरत जहाँ के मकान तक, अली हसन के मकान से रईस के प्लाट तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8.995
	योग				181.187

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दश में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली



95/3

दूरभाष- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 - 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
 - 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
 - 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
 - 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
 - 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
 - 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
 - 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दौरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
 - 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक